न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
57/2022/प्रार्थना पत्र	2022/32	08.02.2022	17.12.2025

अनवान

1. मु. केशर बेवा नारायण नायक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पुत्र नारायण नायक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र नाथू खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
2. बंशी पुत्र लादू खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पुत्र लादू खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
4. मदन पुत्र रामा खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल खटीक निवासी चलानिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
6. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा –अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– ग्राम चलानिया पटवार हल्का लूलांस तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगणों के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 869 रकबा 0.06 है, आ.नं. 870 रकबा 0.04 है., आ.नं. 871 रकबा 0.04 है, आ.नं. 872 रकबा 0.15 है., आ.नं. 873 रकबा 0.62 है., आ.नं. 875 रकबा 0.20 है.. आ.नं. 877 रकबा 0.36 है. कुल किता 07 रकबा 1.47 है स्थित है। जो प्रार्थीगणों के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् पर कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 865 रकबा 0.29 है. व आराजी नं. 867 रकबा 0.75 है. बीड के बदिशा पश्चिम में रास्ता स्थित है, उक्त रास्ते से दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए आराजी नं. 867 की उत्तरी मेर से होते हुए आराजी नं. 868 रकबा 0.22 है. बंजड़ के उत्तरी मेर के सहारे सहारे प्रार्थीगण अपनी आराजी नं. 873 के पश्चिमी उत्तरी कोने पर पहुंचते है। उसके बाद प्रार्थीगण अपनी शेष आराजियात् पर पहुंचकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग काफी समय से करते चले आ रहे है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। विपक्षीगण नं. 06 के यहां आराजियात् रहन होने से व विपक्षीगण नं 07 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 के द्वारा दिनांक 20.12.2021 को रास्ता बन्द कर देने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजियात् पर आ जा नहीं सक रहे है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् में काश्तशुदा फसल की सार संभाल नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण काश्तकार होकर उनका जीवन कृषि पर आधारित है। यदि भविष्य में प्रार्थीगण अपनी आराजियात् में काश्त नहीं कर सके तो प्रार्थीगण व उसका परिवार भूखे मर जायेंगे। प्रार्थीगणों की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् पर पहुंचने के

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

लिये पैरा न. 02 में वर्णित रास्ता जो कि विपक्षीगण नं 01 लगायत 05 की आराजियात् होकर प्रार्थीगणों की आराजियात् तक कृषि उपकरण लाता ले जाता है, को विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 द्वारा बन्द कर देने से प्रार्थीगण अपनी आराजियात् में जो फसल काश्त कर रखी है उसको अवेरने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगणों के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगणों को यदि उक्त रास्ता नहीं मिला तो प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात् पर नहीं पहुंच पायेगें एवं न ही काश्त कर पायेंगे। जिससे प्रार्थीगणों को भारी आर्थिक क्षति होगी और प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात् के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगणों को अपनी आराजियात् पर पहुंचने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु करीब 12 फिट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। वर्षों से उपयोग उपभोग किये जा रहे इस रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने से विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर आमादा फौजदारी हो रहे है। प्रार्थीगणों की आराजियात् पर पहुंचने के लिए पैरा नं 02 में वर्णित रास्ता निकलेगा उस भूमि का मूल्यांकन कर प्रार्थीगणा उक्त आराजी की भूमि का डीएलसी दर से नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगणों का पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात् पर पहुंचने हेतु नहीं है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ता जो प्रार्थी की आराजी सं. 873 पर पहुंचने के लिए 12 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें साथ ही उक्त रास्ते का डीएलसी दर से नियमानुसार, आदेशानुसार राशि जमा कराने का आदेश करते हुए रास्ते का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में करते हुए व नक्शे में भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज करते हुए विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 के खातेदारी में से रास्ते की भूमि को भी कम किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 28.02.2022 को विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लौटे जिन्हें नियत पेशी दिनांक 28.02.2022 को रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या 06 का सम्मन बाद/अदम तामिल नहीं लौटा शेष विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लौटे। विपक्षीगण संख्या 02, 03 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश चन्द्र सुवालका द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.06.202 को मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र लिखे जाने हेतु आदेश दिये गये। सम्मन तामिल होने के पश्चात पर्याप्त समय गुजर जाने के पश्चात भी विपक्षीगण संख्या 1, 4, 5 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण विपक्षी संख्या 06 की तलबी एवं जवाब विपक्षीगण संख्या 2, 3 के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 27.02.2024 को विपक्षीगण संख्या 06 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 671 दिनांक 04.09.2025 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे दिनांक 10.09.2025 को रेकार्ड पर लिया गया। जवाब हेतु विपक्षीगण संख्या 2, 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद 03 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया। एवं प्रकरण बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.12.2025 को अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतफा बहस सुनी गई।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक लूलास की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण को मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रास्ते की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं की गई है। प्रार्थीगण के खेत पर जाने हेतु रास्ता आवश्यक है।

भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम चलानिया पटवार हल्का लूलास स्थित विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 की कृषि आराजियात 867 रकबा 0.75 है. में से 0.0290 हैक्टेयर (58 मीटर गुणा 5 मीटर/290 वर्ग मीटर) भूमि एवं एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 868 रकबा 0.22 है. में से 0.0280 है. (56 मीटर गुणा 5 मीटर/280 वर्ग मीटर) भूमि इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 0.057 है. (570 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति जताई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। तहसील शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजदू नहीं होना बताया है। एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होना बताया है। चाहा गया मार्ग की प्रार्थीगण के पास एकमात्र मार्ग होना अवगत कराया है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है।

प्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इस दृष्टिगत रखते हुए भू0अ0निरीक्षक लूलास प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले विपक्षीगण की आराजी 867 व 868 में से 10 फीट चौड़ाई (3.048 मीटर) का नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्योचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

वाके ग्राम चलानिया पटवार हल्का लूलास भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 की कृषि आराजियात 867 रकबा 0.75 है. में से 0.0177 हैक्टेयर (58 मीटर गुणा 3.048 मीटर/176.78 वर्ग मीटर) भूमि एवं एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 868 रकबा 0.22 है. में से 0.0171 है. (56 मीटर गुणा 3.048 मीटर/170.688 वर्ग मीटर) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0177 है0 को आराजी नम्बर 867 रकबा 0.75 हैक्टेयर एवं 0.0171 है0 को आराजी नम्बर 868 रकबा 0.22 है0 में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा